# न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 45 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 105

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

हेमन्त पुत्र गजाराम वगैरह — गजाराम पुत्र मगाराम वगैरह

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**तारीख रजु :– 05.07.2024**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 12 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 20.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डुंगरा का गोलिया में खेत खसरा संख्या 374 रकबा 2.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 375 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 403 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 404 रकबा 2.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 405 रकबा 2.23 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम का 1/18 हिस्सा आया हुआ है तथा इसी ग्राम डुंगरा का गोलिया पटवार क्षेत्र सांचौर में खेत खसरा नंबर 376 रकबा 5.11 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम का 142/2555 हिस्सा आया हुआ है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण का पैतृक हक निहित होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 के वारिस है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 शराबी है तथा शराब पीने हेतु भूमि बैचान करने पर तुला हुआ है तथा हमैंशा घर में उतपात मचाते रखता है तथा धमकियां दे रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो आराजी है उसे बेच देंगा। ऐसे में प्रार्थीगण के पैतृक हकों की रक्षार्थ यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार क्षेत्र सांचौर खेत खसरा संख्या 374 रकबा 2.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 375 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 403 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 404 रकबा 2.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 405 रकबा 2.23 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम का 1/18 हिस्सा पर तथा इसी ग्राम खेत खसरा नंबर 376 रकबा 5.11 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम का 142/2555 हिस्से की भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करे तथा न ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तांतरण वगैरह करे तथा वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मैंने प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डुंगरा का गोलिया में खेत खसरा संख्या 374 रकबा 2.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 375 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 403 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 404 रकबा 2.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 405 रकबा 2.23 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम के 1/18 हिस्से का एवं इसी ग्राम डुंगरा का गोलिया पटवार क्षेत्र सांचौर में खेत खसरा नंबर 376 रकबा 5.11 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम के 142/2555 हिस्सा की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar.
Date: 2025.09.09 15:30:44 IST
Reason: SelfAttested